(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2022- संघ राज्य कर

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2022

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 10 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 21 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2017- संघ राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"4.	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे
6.	6904 10 00	निर्माणी ईटे
7.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं 190354/56/2022–टी.आर.यू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 02/2017- संघ राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2018- संघ राज्य कर, दिनांक 01 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 03(अ), दिनांक 01 जनवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।